संख्या: 13/2024/250 ई-2/तेरह-2024-1498047

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग2 लखनऊ:दिनांक: 16 मार्च, 2024

विषय-मेसर्स लाड्र्स आसवनी लि., नन्दगंज जनपद गाजीपुर आसवनी में स्थापित किये जा रहे 120 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन आधारित प्लान्ट को डुअल मोड अर्थात अनाज एवं शीरा से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-144/दो-प्रा.डी.-**190**/लाड्र्स आसवनी, दिनांक 27-02-2024 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-**03-2024** में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-209ई-2/तेरह-2024-1498047, दिनांक 14-03-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 27-02-2024 तथा पत्र दिनांक 06-03-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के क्रम में मेसर्स लाड्र्स आसवनी लि., नन्दगज जनपद गाजीपुर को शासनादेश संख्या-75/2021/2225ई-2/ तेरह-2021-1498047, दिनांक 11.11.2021 द्वारा 120 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 420 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की ग्रेन आधारित प्लान्ट, जिसके अन्तर्गत (75 प्रतिशत) 90 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 315 लाख लीटर ग्रेन आधारित एथनाल का उत्पादन औद्योगिक प्रयोजन के रूप में तथा (25 प्रतिशत) 30 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 105 लाख लीटर वार्षिक ग्रेन ई.एन.ए. का उत्पादन पेय मदिरा के प्रयोजन हेतु स्थापित किये जाने वाले प्लांट को अनाज के साथ-साथ शीरे से चलाये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तो का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) शासनादेश दिनांक 11.11.2021 में लगायी गयी शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(ख) पूर्व में आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार आसवनी की औद्योगिक एवं पेय क्षमता में वृद्धि नहीं होगी तथा जब तक नये प्लान्ट का निर्माण, तकनीकी निरीक्षण, व्यवसायिक उपयोग एवं पी.डी.-2 पर नये प्लान्ट की क्षमता का अंकन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आसवनी की पी.डी.-2 क्षमता पूर्ववत् 49.5 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात्

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

148.5 लाख लीटर वार्षिक ही रहेगी एवं उसी के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमति के अधीन मदिरा निर्माण कार्य किया जायेगा।

(ग) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(घ) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) एवं भारतीय मानक ब्यूरो(बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड.) आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्व अदेयता के संबंध में जिलाधिकारी, गाजीपुर का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही प्रकरण में अनुमति निर्गत की जाएगी।

(च) इकाई में स्थापित किये जा रहे एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर, जो आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट होगा, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 13/2024/250 ई-2/तेरह-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।